न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्या :– 31/2025
जीसीएमएस संख्या :– 2025/128 निर्णय दिनांकः 24-10-25

1. जेठमल पुत्र सताराम जाति सुथार निवासी मण्डाल चारनान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. बंसती देवी पुत्री सताराम जाति सुथार निवासी मण्डाल चारनान तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल बंगलानगर बीकानेर।
2. लक्ष्मी पुत्री सताराम जाति सुथार निवासी मण्डाल चारनान तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल बंगलानगर बीकानेर।
3. कंचन पुत्री जेठाराम जाति सुथार निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
4. कान्ता पुत्री सताराम जाति सुथार निवासी मण्डाल चारनान तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल बंगलानगर बीकानेर।
5. छोटूलाल पुत्र सताराम जाति सुथार निवासी मण्डाल चारनान तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल बंगलानगर बीकानेर।
6. दीपा पुत्री जेठाराम जाति सुथार निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
7. नीरजू पुत्री जेठाराम जाति सुथार निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
8. पूर्णा पुत्री जेठाराम जाति सुथार निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
9. रेखा पुत्री जेठाराम जाति सुथार निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
10. विष्णु पुत्र जेठाराम जाति सुथार निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
11. श्रवण पुत्र जेठाराम जाति सुथार निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 28–02–2025
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत।

उपस्थितः–
1. श्री हरिकिशन उपाध्याय, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–02–2025 जिसके द्वारा अपीलांट के खिलाफ एकतरफा विभाजन की प्रार्थमिक डिक्री जारी की गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने एकतरफा तौर पर जारी की है जो नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य है अपीलांट व रेस्पोडेंट के शामिल खाते की भूमि तहसील कोलायत के ग्राम वाके रोही ग्राम चक बीठनोक के खसरा नंबर 701 में 2.500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 653 में 6.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 673 में 6.32 हैक्टेयर, खसरा नंबर 702 में 2.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 719 में 0.06 हैक्टेयर एवं ग्राम मण्डाल चारनान के खसरा नंबर 44/1 में 39.15 हैक्टेयर खातेदारी भूमि स्थित है। अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 4 को बिना प्रोपर नोटिस तामील करवाये बिना किसी सूचना के केवल मात्र प्रार्थमिक डिक्री जारी करने की मंशा से ही उक्त कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश व प्रार्थमिक डिक्री जारी कि है। अपीलांट का पक्ष सुने बिना एकतरफा तौर पर जारी किये गये अपीलाधीन आदेश व डिक्री पारित करना सीधा सीधा कानून प्रावधानों का सीधा उल्लघंन है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 4 के हक एवं अधिकारों को समझने में भारी भूल की है अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश व डिक्री निरस्त फरमाई जावे। अभिभाषक अपीलांट ने आगे मियाद

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बिन्दू पर बहस करते हुए कथन किये कि उक्त अपीलाधीन आदेश व डिक्री का ध्यान अपीलांट को दिनांक 22–04–2025 को तहसील कोलायत में पटवारी के पास जाने पर हुआ ज्ञान होने पर अपीलांट द्वारा नकल आवेदन दिनांक 22–04–2025 को ही कर दिया गया तथा नकल तैयार होकर दिनांक 25–04–2025 को पेश हुई नकल प्राप्ति के दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कि जा रही है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

2. अधिवक्ता रेस्पोरडेंट ने जवाब बहस में कथन किये कि अपील अपीलांट मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो मियाद बिन्दू पर खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किए कि प्रश्नगतः भूमि रेस्पोडेंट व अपीलांट की संयुक्त कृषि भूमि है। जिसके संबंध में रेस्पोडेंट द्वारा एक बंटवारे एवं घोषण का दावा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण 1 ता 3 5, 7 व 8 की और से इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन हेतु सहमति प्रदान कि गई थी। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कि गई। प्रश्नगतः अराजी संयुक्त कृषि भूमि है। अपीलाधीन आदेश द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स हक हिस्से के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को कोई नुकसान कारित नहीं हुआ है। अंतिम डिक्री होना अभी शेष है, अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

3. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। गुणावगुण पर किसी भी प्रकार के विनिश्चय से पूर्व प्रकरण में मियाद बिन्दू को निस्तारित किया जाना उचित है अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–02–2025 को है जिसके विरूद्ध अपील दिनांक 01–05–2025 को न्यायालय में प्रस्तुत हुई है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत करने में ज्यादा विलम्ब नही किया गया है यह विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि जंहा अपील पेश करने में विलम्ब ज्यादा नही हो तो अपील को गुणावगुण पर सुनकर निस्तारण करना श्रेयशकर है अतः अपील के साथ पेश किये गये प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्रों पर विश्वास करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में गुणावगुण पर निस्तारण हेतु उभयपक्षों की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा वाद अर्न्तगत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन अराजी उभयपक्ष की संयुक्त कृषि भूमि है। संयुक्त कृषि भूमि प्रत्येक सह खातेदार को अपने हक हिस्से के मुताबिक खाता विभाजन का अधिकार है अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 5, 7 व 8 की और से ईकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 6, 9, 10 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कि गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थमिक डिक्री जारी कर पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से के मुताबिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड खाता विभाजन कर प्रस्ताव मंगवाये गये हैं इससे किसी भी पक्ष को कोई क्षति होना संभावित नहीं है। प्रकरण में अभी विभाजन प्रस्ताव आना शेष है। विभाजन प्रस्तावों पर एतराज लिए जाकर बाद सुनवाई अंतिम डिक्री जारी होना है, इस स्थिति में अपीलांट इस स्तर पर कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है अपीलांट को यदि कोई एतराज है तो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वरवक्त अंतिम डिक्री अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठा सकते है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

4. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड प्रार्थमिक डिक्री जारी करने कोई विधिक त्रुटि पारित नहीं की है अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी कोलायत का आदेश एवं डिक्री दिनांक 28–02–2025 यथावत बहाल रखा जाता है, उपखण्ड अधिकारी कोलायत को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अंतिम डिक्री जारी करने से पहले उभयपक्षों को सुनकर प्राप्त आपत्ति एवं एतराज को ध्यान में रखकर अंतिम डिक्री पारित की जावे।

5. निर्णय आज दिनांक 24-10-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर